अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920

धाराओं का क्रम

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार ।

2. परिभाषाएं ।

विश्वविद्यालय

3. निगमन ।

4. मुहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कालेज, अलीगढ़ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का विघटन, और सभी सम्पत्ति का विश्वविद्यालय को अन्तरण ।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां ।

6. उपाधियों की मान्यता ।

7. आरक्षित निधि ।

8. विश्वविद्यालय का सभी व्यक्तियों के लिए खुला होना ।

9. [निरसित ।]

10. विद्यार्थियों का निवास ।

11. विश्वविद्यालय में अध्यापन ।

12. हाई स्कूलों और अन्य संस्थाओं को स्थापित करने और चलाने की शक्ति ।

12क. [निरसित ।]

कुलाध्यक्ष

13. कुलाध्यक्ष ।

कुलाध्यक्ष बोर्ड

14. [निरसित ।]

मुख्य कुलाधिसचिव

15. मुख्य कुलाधिसचिव ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

16. विश्वविद्यालय के अधिकारी ।

17. कुलाधिपति ।

18. प्रतिकुलाधिपति ।

19. कुलपति ।

20. प्रतिकुलपति ।

20क. अवैतनिक कोषाध्यक्ष ।

20ख. कुलसचिव ।

20ग. वित्त अधिकारी ।

21. अन्य अधिकारियों की शक्तियां ।

22. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ।

धाराएं

23. सभा ।

24. कार्य परिषद् ।

25. विद्या परिषद् ।

26. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी ।

26क. सदस्यता के लिए निरर्हताएं ।

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

27. परिनियम बनाने की शक्ति ।

28. परिनियम ।

29. अध्यादेश बनाने की शक्ति ।

31. विनियम ।

प्रवेश और परीक्षाएं

32. [निरसित ।]

33. परीक्षाएं ।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखे

34. वार्षिक रिपोर्ट ।

35. वार्षिक लेखे ।

अनुपूरक उपबन्ध

36. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।

36क. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया ।

36ख. अपील का अधिकार ।

37. भविष्य और पेंशन निधियां ।

38. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।

39. रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

40. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

41. विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920

(1920 का अधिनियम संख्यांक 40)

[14 सितम्बर, 1920]

अलीगढ़ में एक अध्यापन करने वाले और निवासिक मुस्लिम विश्वविद्यालय [1][का निगमन] करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि अलीगढ़ में एक अध्यापन करने वाला और निवासिक मुस्लिम विश्वविद्यालय [2]*** निगमित किया जाए, तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत मुहम्मडन एंग्लो-ओरियंटल कालेज, अलीगढ़, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन नामक सोसाइटियों को विघटित किया जाए तथा उक्त सोसाइटियों और मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना समिति की सभी सम्पत्ति और अधिकार उक्त विश्वविद्यालय को अंतरित और उसमें निहित किए जाएं ;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 है ।

(2) यह उस तारीख[3] को प्रवृत्त होगा जो [4][केन्द्रीय सरकार,] [5][राजपत्र] में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

[6][**2. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "कुलाधिपति", "प्रतिकुलाधिपति", "कुलपति" से क्रमश: विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति और कुलपति अभिप्रेत हैं;

(घ) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(ङ) "विभाग" से कोई अध्ययन विभाग अभिप्रेत है तथा अध्यादेशों द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्र इसके अन्तर्गत हैं;

(च) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(छ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(ज) "छात्र निवास" से विश्वविद्यालय द्वारा अपने छात्रों के लिए पोषित निवास या सामुदायिक जीवन की इकाई अभिप्रेत है;

[7][(जज) "अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द" से विश्वविद्यालय के अध्यापकों से भिन्न कर्मचारी अभिप्रेत हैं;]

(झ) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से क्रमश: विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

[8]* * * * * *

(ट) "अध्यापक" से आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्यालय या किसी छात्रनिवास में शिक्षण लेने के लिए नियुक्त किए जाएं, और अध्यादेशों द्वारा जिन्हें अध्यापक कहा गया हो,

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा (10-2-1982 से) "की स्थापना और निगमन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा (10-2-1982 से) "स्थापित और" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] यह अधिनियम तारीख 1 दिसम्बर, 1920 की अधिसूचना सं० 1458 द्वारा 1 दिसम्बर, 1920 को प्रवृत्त हुआ था; देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) 1920, भाग 1, पृ० 2213 ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के राजपत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा (17-6-1972 से) धारा 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 3 द्वारा (10-2-1982 से) अंत:स्थापित ।

[8] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 3 द्वारा (10-2-1982 से) खण्ड (ञ) का लोप किया गया ।

[1][(ठ) "विश्वविद्यालय" से भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी अभिरुचि की वह शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसका आरम्भ मुहम्मडन एंग्लो-ओरियंटल कालेज, अलीगढ़ के रूप में हुआ था और जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में निगमित की गई ।]

विश्वविद्यालय

[2][**3. निगमन**—तत्समय के कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति और कुलपति तथा सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के सदस्य एक निगमित निकाय होंगे जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय होगा । उनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उनकी सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वे वाद लाएंगे तथा उनके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।]

4. मुहम्मडन एंग्लो-ओरियंटल कालेज, अलीगढ़ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के विघटन, और सभी सम्पत्ति का विश्वविद्यालय को अन्तरण—इस अधिनियम के प्रारम्भ से,—

(i) मुहम्मडन एंग्लो-ओरियंटल कालेज, अलीगढ़ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन नामक सोसाइटियां विघटित हो जाएंगी, तथा उक्त सोसाइटियों की सभी स्थावर और जंगम संपत्ति, और सभी अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार तथा मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना समिति की सभी स्थावर और जंगम सम्पत्ति, और सभी अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे और उनका उपयोग उन्हीं उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनके लिए विश्वविद्यालय निगमित किया गया है;

(ii) उक्त सोसाइटियों और समिति के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएं विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएंगी और तत्पश्चात् उसके द्वारा उनका निर्वहन किया जाएगा और वे चुकाए जाएंगे;

(iii) किसी अधिनियमिति में उक्त सोसाइटियों में से किसी के प्रति या उक्त समिति के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जाएगा मानो वह विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश हो;

(iv) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले या पश्चात् विरचित या निष्पादित किसी वसीयत, विलेख या अन्य दस्तावेज का, जिसमें उक्त सोसाइटियों के या उक्त समिति के पक्ष में कोई वसीयत, दान या न्यास है, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, इस प्रकार अर्थ किया जाएगा मानो उसमें उक्त सोसाइटी या समिति के नाम के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम हो;

(v) न्यायालय द्वारा किए जाने वाले किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, मुहम्मडन एंग्लो-ओरियंटल कालेज, अलीगढ़ के स्वामित्व के सभी भवन, उन्हीं नामों और अभिनामों से ज्ञात और अभिहित होते रहेंगे जिनसे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले ज्ञात और अभिहित थे;

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले मुहम्मडन एंग्लो-ओरियंटल कालेज, अलीगढ़ में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, उसी धृति और उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर पेंशन तथा उपदान के बारे में, उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित विश्वविद्यालय में नियोजित रहेगा जैसे वह इस अधिनियम के पारित न किए जाने पर मुहम्मडन एंग्लो-ओरियंटल कालेज, अलीगढ़ के अधीन रहता ।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां—विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(1) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(2) [3][(क)] प्राच्य और इस्लाम विषयक अध्ययन की अभिवृद्धि करना और मुस्लिम धर्म विद्या और धर्म की शिक्षा देना तथा नैतिक और शारीरिक प्रशिक्षण देना;

[4][(ख) भारत के धर्मों, सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन की अभिवृद्धि करना;]

[5][(ग) भारत के मुसलमानों के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास की विशेष रूप से अभिवृद्धि करना;]

[6][(3) परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे, प्रमाणपत्र, उपाधियां और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं ऐसी शर्तों पर देना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे और ऐसे कोई डिप्लोमे, प्रमाणपत्र, उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं समुचित और पर्याप्त कारण होने पर वापस लेना;]

(4) [7]*** सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं, परिनियमों में दी गई रीति से प्रदान करना;

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 3 द्वारा (10-2-1982 से) खण्ड (ठ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 3 द्वारा (17-6-1972 से) धारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 4 द्वारा (17-6-1972 से) खंड (2) को उपखंड (क) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया ।

[4] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 4 द्वारा (17-6-1972 से) अंत:स्थापित ।

[5] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 4 द्वारा (10-2-1982 से) अंत:स्थापित ।

[6] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 4 द्वारा (17-6-1972 से) खंड (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 3 द्वारा "अनुमोदित व्यक्तियों को" शब्दों का लोप किया गया ।

[1][(5) उन व्यक्तियों के लिए जो विश्वविद्यालय के सदस्य नही हैं ऐसे व्याख्यानों और शिक्षण की व्यवस्था करना और ऐसे डिप्लोमे और प्रमाणपत्र प्रदान करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;]

(6) ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों से सहकार [2][या सहयोग] करना;

(7) आचार्य, उपाचार्य तथा प्राध्यापक पद और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित [3]*** अन्य [4][अध्यापन के या शैक्षणिक पद] संस्थित करना, और ऐसे आचार्य, उपाचार्य तथा प्राध्यापक पदों [5][और अन्य पदों] पर व्यक्तियों को नियुक्त करना [6][और उनकी सेवा की शर्तें परिनियमों के अनुसार अवधारित करना];

[2][(7क) किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्था या संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में नियुक्त करना;]

(8) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अध्येतावृत्तियां (जिसके अन्तर्गत यात्रा अध्येतावृत्तियां भी हैं) छात्रवृत्तियां, [7][अध्ययनवृत्तियां,] छात्र सहायतावृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और देना;

[8][(9) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्र-निवास स्थापित करना और चलाना;]

[9][(9क) विश्वविद्यालय की मस्जिद से पच्चीस किलोमीटर के अर्थव्यास के भीतर ऐसे विशेष केन्द्र, विशेषित प्रयोगशालाएं या अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए अन्य इकाइयां स्थापित करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;]

(10) ऐसी फीसें और अन्य प्रभारों की, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं, मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(11) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास का अधीक्षण और नियंत्रण करना और अनुशासन का, [7][विनियमन करना,] तथा उनके स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना; [10]***

[7][(11क) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन की बाबत निक्षेप प्रबंध करना;

(11ख) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य [11]*** पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना [6][और उनकी सेवा की शर्तें परिनियमों के अनुसार अवधारित करना];

[9][(11ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना तथा उसे प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(11घ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ स्थावर या जंगम संपत्ति, जिसके अन्तर्गत न्यास या विन्यास की संपत्ति भी है, अर्जित और धारण करना तथा उसका प्रबंध और व्ययन करना;

(11ङ) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उधार लेना;

(11च) किसी अध्ययन विभाग को स्वशासी विभाग घोषित करना; और]

(12) अन्य सभी ऐसे कृत्य और बातें करना जो, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों की अनुषंगी हों या नहीं [12]*** ।

6. उपाधियों की मान्यता—विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तियों को अनुदत्त या प्रदत्त उपाधियों, डिप्लोमों और अन्य शिक्षा संबंधी विशिष्टताओं को [13][केन्द्रीय और [14][राज्य] सरकारें] द्वारा उसी प्रकार मान्यता दी जाएगी जिस प्रकार किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त उपाधियों, डिप्लोमों और अन्य शिक्षा सम्बन्धी विशिष्टताओं को दी जाती हैं ।

---

[1] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 4 द्वारा (17-6-1972 से) खंड (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 4 द्वारा (17-6-1972 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 3 द्वारा "किसी" शब्द का लोप किया गया ।
[4] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 4 द्वारा (17-6-1972 से) "अध्यापन के पद" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 3 द्वारा "और पदों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 4 द्वारा (10-2-1982 से) जोड़ा गया ।
[7] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 4 द्वारा (10-2-1982 से) खण्ड (9) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 4 द्वारा (17-6-1972 से) अंत:स्थापित ।
[10] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 3 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया ।
[11] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 4 द्वारा (17-6-1972 से) "आवश्यक" शब्द का लोप किया गया ।
[12] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[13] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत की किसी सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[14] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7. आरक्षित निधि—विश्वविद्यालय अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पुरस्कारों और पारितोषिकों की बाबत प्रभारों से भिन्न विश्वविद्यालय के आवर्ती प्रभारों को चुकाने के लिए तीस लाख रुपए की राशि एक स्थायी विन्यास के रूप में ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित करेगा और किए रहेगा जिनमें [1][भारत] में तत्समय प्रवृत्त न्यास सम्बन्धी विधि के अनुसार न्यास निधियों का विनिधान किया जा सकता हो :

परन्तु—

(1) भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920 (1920 का 10) में यथापरिभाषित ऐसी सरकारी प्रतिभूति की, जो विश्वविद्यालय द्वारा धारण की जाए, गणना इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसके अंकित मूल्य पर की जाएगी;

(2) पूर्वोक्त तीस लाख रुपए की राशि में से ऐसी घटा दी जाएगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, [2][केन्द्रीय सरकार,] लिखित आदेश द्वारा, इस धारा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित का कुल पूंजीकृत मूल्य घोषित करे :—

(क) किसी देशी रियासत के शासक द्वारा या तो मुहम्मडन एंग्लो-ओरियंटल कालेज, अलीगढ़ को या मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को या मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना समिति को, दिए गए धन के स्थायी आवर्ती अनुदान; और

(ख) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रवर्तन द्वारा अन्तरित स्थावर सम्पत्ति से (जो ऐसी भूमि या भवन न हों जो उक्त कालेज के अधिभोग और उपयोग में हैं) होने वाली सकल आय ।

[3][**8. विश्वविद्यालय का सभी व्यक्तियों के लिए खुला होना**—विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए (जिनके अन्तर्गत अध्यापक और शिक्षार्थी भी हैं) खुला होगा चाहे वे स्त्री हो या पुरुष और चाहे वे किसी भी मूलवंश, धर्म, पंथ, जाति या वर्ग के हों :

परन्तु इस धारा की कोई बात, उन व्यक्तियों को अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से धार्मिक शिक्षण दिए जाने से, जिन्होंने उसे लेने की सम्मति दे दी है, निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।]

9. [**धार्मिक अनुदेश ।**]—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1951 (1951 का 62) की धारा 6 द्वारा निरसित ।

10. विद्यार्थियों का निवास—विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी या तो किसी छात्रनिवास [4][या छात्रावास] में या ऐसी दशाओं में निवास करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

[5][**11. विश्वविद्यालय में अध्यापन**—विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के प्रयोजन के लिए सभी मान्यताप्राप्त अध्यापन [6][विद्या परिषद् के पर्यवेक्षण में तथा परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार] किया जाएगा ।]

[7][**12. हाई स्कूलों और अन्य संस्थाओं को स्थापित करने और चलाने की शक्ति**—(1) परिनियमों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की मस्जिद से पन्द्रह मील के अर्धव्यास के भीतर हाई स्कूल स्थापित करने और चलाने की शक्ति होगी ।

(2) कुलाध्यक्ष की मंजूरी से तथा परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय [8][ऐसे विशेष केन्द्र, विशेषित प्रयोगशालाएं तथा अनुसंधान या शिक्षण के लिए अन्य ऐसी संस्थाएं जो उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों, स्वत: या किसी अन्य संस्था के सहकार या सहयोग से स्थापित कर सकेगा और चला सकेगा] ।]

12क. [**महाविद्यालयों और संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शक्ति ।**]—अलीगढ़ मुस्मिल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 34) की धारा 9 द्वारा (17-6-1972 से) निरसित ।

[9][**कुलाध्यक्ष**]

13. [9][कुलाध्यक्ष]—(1) [10][राष्ट्रपति] विश्वविद्यालय का [9][कुलाध्यक्ष] होगा ।

(2) [9][कुलाध्यक्ष] को अधिकार होगा कि विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों का, विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली किसी संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या संपादित किसी परीक्षा, शिक्षा और अन्य कार्य का, ऐसे

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 4 द्वारा "भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 5 द्वारा (10-2-1982 से) धारा 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 6 द्वारा (17-6-1972 से) अंत:स्थापित ।

[5] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 7 द्वारा धारा 11 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 7 द्वारा (17-6-1972 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 8 द्वारा धारा 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 8 द्वारा (17-6-1972 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 10 द्वारा "लार्ड रेक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जो वह निर्दिष्ट करे, निरीक्षण कराए और ऐसी ही रीति से विश्वविद्यालय [1][के प्रशासन या वित्त] से सम्बन्धित किसी मामले की बाबत जांच कराए [2]*** ।

[3][(2क) कुलाध्यक्ष प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच करने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और उस सूचना की प्राप्ति पर विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह कुलाध्यक्ष से ऐसा अभ्यावेदन करे जो वह आवश्यक समझे ।

(2ख) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् कुलाध्यक्ष ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट है ।

(2ग) जहां कुलाध्यक्ष कोई निरीक्षण या जांच कराए वहां विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा ।]

(3) [4][कुलाध्यक्ष] ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणाम के संबंध में कुलपति को सम्बोधित कर सकेगा और कुलपति ऐसी सलाह के सहित जो [4][कुलाध्यक्ष] उस पर कार्रवाई करने के लिए दे, [5][कार्य परिषद्] को [4][कुलाध्यक्ष] के विचार संसूचित करेगा ।

(4) [5][कार्य परिषद्] कुलपति के माध्यम से [4][कुलाध्यक्ष] को उस कार्रवाई की, यदि कोई हो, संसूचना देगी, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना हो या की गई हो ।

(5) जहां [5][कार्य परिषद्] उचित समय के भीतर, [4][कुलाध्यक्ष] के समाधान प्रदान करने वाले रूप में कार्रवाई न करे वहां, [4][कुलाध्यक्ष] [5][कार्य परिषद्] द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीम समझे और [5][कार्य परिषद्] ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

[6][(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय की ऐसे कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हो, लिखित आदेश द्वारा बातिल कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आदेश करने के पहले वह विश्वविद्यालय को इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण दर्शित किया जाए तो वह उस पर विचार करेगा ।]

[7][(7) कुलाध्यक्ष को अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।]

कुलाध्यक्ष बोर्ड

14. [**कुलाध्यक्ष बोर्ड ।**]—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1951 (1951 का 62) की धारा 11 द्वारा निरसित ।

[8][मुख्य कुलाधिसचिव

15. मुख्य कुलाधिसचिव—उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का मुल्य कुलाधिसचिव होगा ।]

विश्वविद्यालय के अधिकारी

16. विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(1) कुलाधिपति;

(2) प्रतिकुलाधिपति;

(3) कुलपति; [9]***

[10]* * * * * *

[11][(3क) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;]

---

[1] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 10 द्वारा (17-6-1972 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 10 द्वारा (17-6-1972 से) उपधारा (2क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 10 द्वारा "लार्ड रेक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 10 द्वारा "सभा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित । भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंत:स्थापित पूर्ववर्ती उपधारा (6) भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा निरसित ।

[7] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 10 द्वारा (17-6-1972 से) अंत:स्थापित ।

[8] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 11 द्वारा (17-6-1972 से) पूर्ववर्ती शीर्षक और धारा 15 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1945 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित "और" शब्द का 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 13 द्वारा लोप किया गया ।

[10] 1945 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 द्वारा खण्ड (4) का लोप किया गया जो इस प्रकार था "प्रतिकुलपति, और" ।

[11] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(3ख) अवैतनिक कोषाध्यक्ष;]

[2][(3ग) कुलसचिव;]

[3][(3घ)] वित्त अधिकारी;]

[3][(3ङ)] संकायों के संकायाध्यक्ष; तथा

[4][(4)] अन्य ऐसे अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

[5][**17. कुलाधिपति**—[6][(1) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति सभा द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए निर्वाचित किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।]

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) यदि कुलाधिपति उपस्थित हो तो वह विश्वविद्यालय के उपाधियां प्रदान करने के लिए किए गए दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।]

[7][**18. प्रतिकुलाधिपति**—[8][(1) प्रतिकुलाधिपति सभा द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए निर्वाचित किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।]

(2) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में प्रतिकुलाधिपति विश्वविद्यालय के उपाधियां प्रदान करने के लिए किए गए दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।]

[9][**19. कुलपति**—(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा उस रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ।

(3) यदि कुलपति की राय हो कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई आवश्यक है तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा और उस प्राधिकारी को अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगा :

परन्तु यदि सम्बन्धित प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह उस मामले को कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति को, जो कुलपति द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्रवाई से व्यथित हो, अधिकार होगा कि कार्य परिषद् से, जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाए उसे तीन मास के भीतर, उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील करें और तब कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी ।

(4) कुलपति अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।]

[10][**20. प्रतिकुलपति**—प्रतिकुलपति की नियुक्ति उस रीति से की जाएगी और वह उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।]

[11][**20क. अवैतनिक कोषाध्यक्ष**—(1) अवैतनिक कोषाध्यक्ष सभा द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए निर्वाचित किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) अवैतनिक कोषाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।]

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 6 द्वारा (10-2-1982 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 12 द्वारा (17-6-1972 से) खण्ड (3ख) और (3ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 6 द्वारा (10-2-1982 से) खण्ड (3ख), (3ग), और (3घ) को खण्ड (3ग), (3घ) और (3ङ) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
[4] 1945 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 द्वारा मूल खण्ड (5) को खण्ड (4) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
[5] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 13 द्वारा (17-6-1972 से) धारा 17 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 7 द्वारा (10-2-1982 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 14 द्वारा (17-6-1972 से) धारा 18 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 8 द्वारा (10-2-1982 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 15 द्वारा (17-6-1972 से) धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 16 द्वारा (17-6-1972 से) अंत:स्थापित । 1945 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा (4-9-1945 से) मूल धारा 20 निरसित ।
[11] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 9 द्वारा (10-2-1982 से) अंत:स्थापित ।

[1][**20ख.**] **कुलसचिव**—(1) कुलसचिव की नियुक्ति उस रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) कुलसचिव को शक्ति प्राप्त होगी कि विश्वविद्यालय की ओर से करार करे या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करे तथा अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

[1][**20ग.**] **वित्त अधिकारी**—वित्त अधिकारी की नियुक्ति उस रीति से की जाएगी और वह उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

[2][**21. अन्य अधिकारियों की शक्तियां**—कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, [3][अवैतनिक कोषाध्यक्ष,] कुलसचिव और वित्त अधिकारी से भिन्न अधिकारियों की शक्तियां परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी ।]

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

22. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(1) सभा,

(2) कार्यपरिषद्,

(3) विद्या परिषद्, [4]***

[5][[6][(3क) वित्त समिति,]

(3) संकाय, [6][और]]

[7]* * * * * *

(4) अन्य ऐसे प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं ।

[8][**23. सभा**—(1) सभा में तत्समय कुलाधिपति, प्रतिकुलपति, कुलपति और प्रतिकुलपति (यदि कोई हो) और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जो परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) सभा विश्वविद्यालय का उच्चतम शासी निकाय होगी और विश्वविद्यालय को ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है और उसे कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के कार्यों का (वहां के सिवाय जहां ऐसी परिषदों ने इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य किए हैं) पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) परिनियम बनाना और परिनियमों का संशोधन या निरसन करना;

(ख) अध्यादेशों पर विचार करना;

(ग) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(घ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का निर्वाचन करना और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।]

24. कार्य परिषद्—कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का [9][प्रधान कार्यपालक निकाय] होगी । उसका गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 9 द्वारा (10-2-1982 से) धारा 20क और 20ख को क्रमश: धारा 20ख और 20ग के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[2] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 17 द्वारा (17-6-1972 से) धारा 21 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 10 द्वारा (10-2-1982 से) अंत:स्थापित ।

[4] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 16 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया ।

[5] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 16 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[6] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 11 द्वारा (10-2-1982 से) अंत:स्थापित ।

[7] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 11 द्वारा (10-2-1982 से) खण्ड (3ग) का लोप किया गया ।

[8] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 12 द्वारा (10-2-1982 से) धारा 23 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 20 द्वारा (17-6-1972 से) "कार्यपालक निकाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

25. विद्या परिषद्—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का [1][प्रधान शैक्षणिक निकाय] होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, [2][विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उस पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी ।]

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

26. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी—[3][वित्त समिति और संकायों का] और ऐसे प्राधिकारियों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं, गठन, शक्तियां और [3][कृत्य] परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

[4][**26क. सदस्यों के लिए निरर्हताएं**—कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक नहीं है तो वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी का सदस्य चुने जाने और रहने के लिए निरर्हित होगा ।]

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

[5][**27. परिनियम बनाने की शक्ति**—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों [6]*** तथा अन्य ऐसे प्राधिकारियों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन और पदों पर बने रहना, सदस्य पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों से संबंधित अन्य सब विषय जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

[7][(ग) कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति, कुलपति तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के, यथास्थिति, निर्वाचन या नियुक्ति की रीति;]

(घ) अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की रीति और उनकी उपलब्धियां;

(ङ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी उपलब्धियां;

(च) संयुक्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में काम करने वाले अध्यापकों या कर्मचारियों की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्ति की रीति;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि का उपबन्ध तथा सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है;

(ज) कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(झ) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय में विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(ञ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील की प्रक्रिया;

(ट) छात्र संघ और विश्वविद्यालय के अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द या अन्य कर्मचारियों के संगमों की स्थापना और उन्हें मान्यता प्रदान करना;

(ठ) सब अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकते हैं ।

[8][**28. परिनियम**—(1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 के प्रारम्भ पर, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले प्रवृत्त और उस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित परिनियम विश्वविद्यालय के परिनियम होंगे ।

(2) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 के प्रारम्भ के पश्चात्, सभा, उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का इस धारा में इसके पश्चात्, उपबंधित रीति से संशोधन या निरसन कर सकेगी ।

---

[1] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 21 द्वारा (17-6-1972 से) "शैक्षणिक निकाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 21 द्वारा (17-6-1972 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 13 द्वारा (10-2-1982 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 14 द्वारा (10-2-1982 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 23 द्वारा (17-6-1972 से) धारा 27 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 15 द्वारा (10-2-1982 से) "वित्त समिति" शब्दों का लोप किया गया ।
[7] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 15 द्वारा (10-2-1982 से) खण्ड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 16 द्वारा (10-2-1982 से) धारा 28 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) कार्य परिषद् सभा के समक्ष किसी परिनियम के प्रारूप की उसके विचारार्थ प्रस्थापना कर सकेगी और ऐसे प्रारूप पर सभा अपनी आगामी बैठक में विचार करेगी :

परन्तु कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले किसी परिनियम का या परिनियम के किसी संशोधन का प्रारूप तब तक प्रस्थापित नहीं करेगी, जब तक उस प्राधिकारी को उस प्रस्थापना पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गई किसी राय पर सभा विचार करेगी ।

(4) सभा उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी प्रारूप का अनुमोदन कर सकेगी या उसे नामंजूर कर सकेगी या उसे किन्हीं ऐसे संशोधनों के साथ, जिनका सुझाव सभा दे, पूर्णत: या भागत: पुनर्विचार करने के लिए कार्य परिषद् को लौटा सकेगी ।

(5) सभा का कोई सदस्य सभा के समक्ष किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्थापित कर सकेगा और सभा प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या ऐसे प्रारूप को विचारार्थ कार्य परिषद् को निर्देशित कर सकेगी । कार्य परिषद् या तो प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या प्रारूप को सभा के समक्ष ऐसे रूप में जिसका कार्य परिषद् अनुमोदन करे, प्रस्तुत कर सकेगी और इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार प्रस्तुत प्रारूप की दशा में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे कार्य परिषद् द्वारा प्रस्थापित प्रारूप की दशा में लागू होते हैं ।

(6) कोई नया परिनियम या किसी परिनियम का संशोधन या अभिवर्द्धन, या निरसन तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक उसका कुलाध्यक्ष अनुमोदन नहीं कर देता है, जो उसे मंजूर या नामंजूर कर सकेगा या उसे और विचार करने के लिए लौटा सकेगा ।]

[1][**29. अध्यादेश बनाने की शक्ति**—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका इस रूप में नामावलि में दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए नियत किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य शिक्षा संबंधी विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने से संबद्ध साधन;

(घ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए ली जाने वाली फीस;

(ङ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

[2][(छ) परीक्षक, अनुसीमक, अधीक्षक और सारणीकार को दिया जाने वाला पारिश्रमिक;]

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की दशाएं;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबन्ध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) धार्मिक शिक्षा देना;

(ट) [3][विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अन्य कर्मचारिवृन्द] की उपलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें तथा निबन्धन;

(ठ) धारा 12 के उपबंधों के अनुसार हाई स्कूलों और अन्य संस्थाओं को चलाना;

[4][(ड) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अंतर्विभागीय समितियों, विशेष केंद्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं, उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान समितियों, विभाग और केन्द्र समितियों, प्रवेश समितियों, परीक्षा समिति, निवास और छात्रनिवास बोर्डों, अनुशासन समिति, सांस्कृतिक समिति, समाज सेवा समिति और खेल-कूद समिति तथा छात्र सलाहकार समितियों की स्थापना ।

(ढ) अन्य विश्वविद्यालय और प्राधिकारियों से, जिनके अन्तर्गत विद्वत निकाय या संगम भी है, सहकार और सहयोग;]

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 21 द्वारा पूर्ववर्ती धारा 29 और 30 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 25 द्वारा (17-6-1972 से) खण्ड (छ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 25 द्वारा (17-6-1972 से) "विश्वविद्यालय के अध्यापकों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 25 द्वारा (17-6-1972 से) खण्ड (ड) और (ढ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ण) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(त) अध्यापकों के अन्य ऐसे निर्बन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हों; और

(थ) सब अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं ।

[1][(2) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 34) के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे :

परन्तु—

(i) खण्ड (ट) और (त) में परिगणित विषयों को छोड़कर उपधारा (1) में परिगणित विषयों की बाबत अध्यादेश बनाने में कार्य परिषद् विद्या परिषद् की सिफारिश पर कार्य करेगी;

[2]* * * * *

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति कार्य परिषद् को प्राप्त नहीं होगी, किन्तु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या प्रारूप को, या तो पूर्णत: या भागत: ऐसे संशोधन सहित, जो कार्य परिषद् सुझाए, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी ।

[3][[4][(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित अध्यादेश का प्रारूप नामंजूर या वापस कर दिया हो वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और यदि मूल प्रारूप विद्या परिषद् के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से तथा कुल सदस्यों के आधे से अधिक के बहुमत से पुन: अभिपुष्ट हो जाए तो वह प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा और कार्य परिषद् उसे या तो अंगीकार कर सकेगी या कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगी, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रभावी होगा ।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश कुलाध्यक्ष को दो सप्ताह के भीतर भेजा जाएगा । कुलाध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होगी कि अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को निदेश दे कि वह ऐसे किसी अध्यादेश का प्रवर्तन निलम्बित कर दे और वह यथासम्भव शीघ्र कार्य परिषद् को प्रस्थापित आदेश पर अपनी आपत्ति के बारे में सूचना देगा । कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय के टीका-टिप्पण प्राप्त करने के पश्चात् या तो अध्यादेश के निलम्बन के आदेश वापस ले सकेगा या अध्यादेश को अस्वीकार कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।]]]

31. विनियम—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से सुसंगत विनियम बना सकेंगे, जो—

(क) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या नियत करे;

(ख) उन सभी विषयों के लिए उपबन्ध करें जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार विनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं; तथा

(ग) सभी अन्य ऐसे विषयों का उपबन्ध करें जो ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों के बारे में हों जिसके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी उस प्राधिकारी के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने के लिए और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा ।

[5][(3) कार्य परिषद् इस धारा के अधीन बनाए गए किसी विनियम के [6][जो सभा द्वारा बनाया गया विनियम नहीं है] ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या ऐसे विनियम के रद्द किए जाने का निदेश दे सकेगी ।

[7]* * * * *

[8][(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

---

[1] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 25 द्वारा (17-6-1972 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 17 द्वारा (10-2-1982 से) खंड (ii) का लोप किया गया ।
[3] 1965 के अधिनियम सं० 19 की धारा 4 द्वारा उपधारा (4), (5), (6) और (7) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 25 द्वारा (17-6-1972 से) उपधारा (4), (5) और (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 18 द्वारा (10-2-1982 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1965 के अधिनियम सं० 19 की धारा 5 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया ।
[8] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।

(5) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

प्रवेश और परीक्षाएं

32. [विश्वविद्यालय में प्रवेश ।]—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1951 (1951 का 62) की धारा 23 द्वारा निरसित ।

33. परीक्षाएं—(1) परीक्षाओं के संचालन के लिए सभी व्यवस्था और सभी परीक्षाएं परीक्षकों की नियुक्ति विद्या परिषद् की सिफारिश पर [1][कार्य परिषद्] द्वारा की जाएगी ।

[2]* * * * *

(3) विद्या परिषद् परीक्षा प्रश्नों का अनुसीमन करने के लिए और परीक्षाओं के परिणाम [3][तैयार और प्रकाशित करने] [4]*** के लिए परीक्षा समितियां नियुक्त करेगी, जिसमें उसके अपने सदस्य होंगे या अन्य व्यक्ति होंगे या दोनों होंगे, जैसा वह ठीक समझे ।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखे

[5][**34. वार्षिक रिपोर्ट**—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेशनों में तैयार की जाएगी तथा सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, तथा सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

(2) सभा अपने टीका-टिप्पण सहित (यदि कोई हो) वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति को भेजेगी ।]

[6][(3) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, जैसी कि वह कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे यथाशक्य शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।]

[7][**35. वार्षिक लेखे**—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र कार्य परिषद् के निदेशन के अधीन तैयार किए जाएंगे और उनकी लेखा-परीक्षा, प्रतिवर्ष कम से कम एक बार और पंद्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, की जाएगी ।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, उस पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तथा कार्य परिषद् द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के साथ सभा और कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचार सभा के ध्यान में लाए जाएंगे और यदि सभा कोई विचार व्यक्त करे तो उन पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् वे कुलाध्यक्ष को भेजे जाएंगे ।

(4) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित जैसी कि वह कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें यथाशक्य शीघ्र संसद् के दोनों के समक्ष रखवाएगी ।

(5) लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।]

अनुपूरक उपबन्ध

36. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक [8][कर्मचारी] लिखित संविदा से नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित [9][कर्मचारी] को दी जाएगी ।

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 24 द्वारा "शैक्षणिक परिषद् द्वारा ऐसी रीति में जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 24 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया ।

[3] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 24 द्वारा "तैयार करने" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 24 द्वारा "और प्रकाशन के लिए कार्य परिषद् को ऐसे परिणामों की रिपोर्ट करने" शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 26 द्वारा (17-3-1972) धारा 34 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 19 द्वारा (10-2-1982 से) अंत:स्थापित ।

[7] 1981 के अधिनियम सं० 62 की धारा 20 द्वारा (10-2-1982 से) प्रतिस्थापित ।

[8] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 28 द्वारा (17-3-1972) "वैतनिक अधिकारी और अध्यापक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 28 द्वारा (17-3-1972) "अधिकारी या अध्यापक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी [1][कर्मचारी] के बीच किसी संविदा से पैदा होने वाला विवाद, संबंधित [1][कर्मचारी] के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित [1][कर्मचारी] द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और [2][कुलाध्यक्ष] द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा । अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा अधिकरण हुआ विनिश्चित विषय की बाबत सिविल न्यायालयों में कोई वाद नहीं लाया जाएगा । ऐसा प्रत्येक अनुरोध भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1899[3] (1899 का 9) के अर्थान्तर्गत इस धारा के निबन्धनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा, और उस अधिनियम की धारा 2 के सिवाय उसके सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

[4][**36क. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया**—(1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावलि से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेश या संकल्प से हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया हो, उस आदेश की या उस संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उलट सकेगी ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से पैदा होने वाला कोई भी विवाद उस छात्र के अनुरोध पर एक माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 36 की उपधारा (2) के उपबन्ध इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे ।

36ख. अपील का अधिकार—विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यह अधिकार होगा कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध, ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करे और तब कार्य परिषद् जिस विनिश्चय के विरुद्ध अपील की गई हो उसे पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उलट सकेगी ।]

37. भविष्य और पेंशन निधियां—(1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और सेवकों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, [5][ऐसी भविष्य और पेंशन निधियां] स्थापित करेगा [5][या ऐसी बीमा-स्कीमों की व्यवस्था करेगा] जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां ऐसी भविष्य या पेंशन निधि इस प्रकार स्थापित की गई हो वहां [6][केन्द्रीय सरकार] यह घोषित[7] कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, [8][1952] (1952 का 19), के उपबन्ध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो ।

38. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—[9]* * * * *

(2) [10]*** [11]*** [12][किसी पद की या किसी प्राधिकारी] में होने वाली कोई [13]*** आकस्मिक रिक्ति उस प्राधिकारी द्वारा भरी जाएगी जिसे उस पद पर या प्राधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति हो ।

39. रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—विश्वविद्यालयों के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने के ही कारण अविधिमान्य नहीं होंगी ।

[14][**40. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण**—कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम, परिनियमों या आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयिक किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।

41. विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 34) या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति के संकल्प या अन्य दस्तावेज की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हो, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित कर दिए जाने पर उस रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवृत्त, संकल्प या

---

[1] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 28 द्वारा (17-6-1972 से) "अधिकारी या अध्यापक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 26 द्वारा "कुलाध्यक्ष बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] अब माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10 से) देखिए ।
[4] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 29 द्वारा (17-6-1972 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 27 द्वारा "भविष्य और पेंशन निधियां" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] ऐसी घोषणा के लिए देखिए अधिसूचना सं० 1505,तारीख 14 जुलाई, 1927, भारत का राजपत्र, 1927, भाग 1, पृ० 764 (जी०एस०आर०ओ० जिल्द 8, पृ० 192)
[8] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 27 द्वारा "1897" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 28 द्वारा उपधारा (1) का लोप किया गया ।
[10] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 30 द्वारा (17-3-1972 से) "धारा 18 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन" शब्दों का लोप किया गया ।
[11] 1952 के अधिनियम सं० 62 की धारा 28 द्वारा "अन्य" शब्द का लोप किया गया ।
[12] 1951 के अधिनियम सं० 62 की धारा 28 द्वारा "किसी प्राधिकारी के किसी पद" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[13] 1965 के अधिनियम सं० 19 की धारा 8 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[14] 1972 के अधिनियम सं० 34 की धारा 31 द्वारा (17-6-1972 से) अंत:स्थापित ।

दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में वहां ग्रहण की जाएगी और उसमें के मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में वहां ग्रहण की जाएगी जहां उसका मूल पेश किए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होता ।]

अनुसूची—विश्वविद्यालय के परिनियमों के लिए विश्वविद्यालय कलेंडर देखिए ।

———